तारीख हुक्म	न्यायाधीश—सेशन न्यायाधीश, सीकर सेशन प्रकरण संख्या— 318/2023 उनवानी राजस्थान राज्य बनाम फैयाज अली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
06.06.2026	1. श्री सांवरमल बिजारणियां, लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त फैयाज अली अनुपस्थित की हाजरी माफी प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार सैनी पेश हुआ जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है। 2. साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 19 का जमानती वारण्ट अदम तामील तथा गवाह संख्या 18 का जमानती वारण्ट बाद या अदम तामील प्राप्त नही हुआ है। गत पेशी पर भी गवाह संख्या 16 का जमानती वारण्ट भी बाद या अदम तामील प्राप्त नही हुआ है। गवाहान के जमानती वारण्ट बाद या अदम तामील नही लौटाने बाबत् थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली सीकर को नोटिस जारी हो कि वे अपना स्पष्टीकरण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। 3. दिनांक 09.06.2026 हेतु गवाह संख्या 7 व 8, दिनांक 10.06.2026 हेतु गवाह संख्या 11 व 16 तथा दिनांक 11.06.2026 हेतु गवाह संख्या 18 व 19 को जरिये जमानती वारण्ट राशि तीन हजार रूपये से तलब किया जावे। 4. वारण्टों पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार टारगेट प्रकरण है अतः तामील विशेष वाहक से आवश्यक रूप से करवाई जावे। विशिष्ट लोक अभियोजक को निर्देश है कि वे गवाहान को अपने स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। 5. पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु सर्वप्रथम दिनांक 09.06.2026 को पेश हो। 6.6.26 सेशन न्यायाधीश, सीकर	